

संख्याक-01

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :- हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 709/2019

1. जसकरणसिंह पुत्र कृपालसिंह जाति जटसिख निवासी खेरुवाला तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर।
2. बलकरणसिंह पुत्र कृपालसिंह जाति जटसिख निवासी खेरुवाला तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर।
3. रविन्द्रसिंह वल्द बलकरणसिंह कोम जट सिख साकिन खेरुवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
4. शमिन्द्रसिंह वल्द जसकरणसिंह कोम जट सिख साकिन खेरुवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

- वादीगण

बनाम

1. कृपालसिंह वल्द जोगेन्द्रसिंह कोम जट सिख साकिन खेरुवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. मुखत्यारकौर पत्नी कृपालसिंह कोम जट सिख साकिन खेरुवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार सादुलशहर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार संगरिया।

- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 व 53 आरटीए

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ हवाई सिंह यादव वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री चिमनलाल दुआ वकील वादीगण मिन जामिन मुद्ई एवं श्री त्रिलोक चन्द चायल वकील प्रतिवादी सं. 1 व 2 राजपैरोकार स्टेट प्रतिवादी सं. 3 व 4 मिन जानिब मुद्दायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि वादी संख्या 1 को चक 22 पीटीपी-बी मे खाता संख्या 49/47-53 मे मु.न. 49 का किला नं. 11 ता 13, 18 ता 20/1.518 है0 कि.न. 22/2 मे 0.126 है0 कि.न. 23/0.253 है0 कुल 1.897 है0 नहरी रकबा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त खाता से वादी संख्या 2 का नाम 1.897 है0 मे से 1/2 हिस्सा तक तर्क किया जाता है। वादी संख्या 2 को चक 22 पीटीपी-बी मे खाता संख्या 18/12 मे मु.न. 8 का किला नं. 11, 12, 18, 19, 23/1.265 है0 मु.न. 49 का किला नं. 21/0.253 है. कि.न. 22/1 मे 0.127 है0 मु.न. 54 का कि.न. 4, 5/0.506 है0 कुल 2.151 है0 नहरी रकबा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम 2.151 है0 हिस्सा तक कलमजन किया जाता है। वादी संख्या 3 को चक 22 पीटीपी-बी मे खाता संख्या 96/94 मे मु.न. 2 का किला नं. 14, 16, 17/0.759 है0 किला नं. 21/0.253 है0 मु.न. 8 का किला नं. 14, 16, 17/0.759 है0 मु.न. 8 का किला नं. 3, 4, 7, 8, 13/1.265 है0 कुल 2.024 है0 नहरी रकबा का खातेदार



Edw...  
जज (राजस्व)  
सादुलशहर

काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त खाता से प्रतिवादिया संख्या 2 का नाम 2.024 है0 हिस्सा तक कलमजन किया जाता है। वादी संख्या 4 को चक 22 पीटीपी-बी मे खाता संख्या 18/12 मे मु.न. 48 का किला नं. 16, 17, 24, 25/1.012 है0 नहरी रकबा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम 1.012 है0 हिस्सा तक कलमजन किया जाता है। उक्तानुसार ही वादीगण का खाता अलग कायम किया जाकर वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

बसबत मेरे दस्तख्त एवं न्यायालय की मुद्रा से दिनांक 21.11.19..... को जारी की गई।



*Eam Singh*  
हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी  
सादुलशहर

